बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद

संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद

कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक– 28 दिनांक 9/8/07

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियमः–2005 के अन्तर्गत लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पदो के सृजन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के लागू हो जाने के उपरान्त बिहार सरकार के सभी विभागों के पदाधिकारी की व्यस्तता सूचना उपलब्ध कराने जाने के कारण विभाग का सामान्य कार्य बूरी तरह प्रभावित हो रहा है जिससे विभागीय कार्यो की प्रगति धीमी हो गयी है ।

2. आप अवगत होंगे कि सभी बड़े छोटे विभागों में ज्यादा–तर पदाधिकारियों को लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय पदाधिकारी नामित कर दिया गया है । फलस्वरूप सभी कार्यलय दिवस में सूचना मॉगने वाले आवेदकों की संख्या दिनो–दिन बढ़ती जा रही है ।

उपरोक्त परिस्थिति में ''संघ'' का यह अनुरोध होगा कि बिहार सरकार के सभी विभागों में बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को लोक सूचना पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु क्रमशः 38 संयुक्त सचिव स्तर के 76 अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारियों के पदो का सृजन जनहित में शीध्र करने कृपा की जाय ।

9/8/07

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव